संख्या-क0नि0-2-1425/ग्यारह-2014-9(66)/2001

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्यकर ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2014

विषयः रूपये पच्चीस लाख तक स्टाक रखने वाले टैंट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के समान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये रूपये पच्चीस लाख तक स्टाक रखने वाले टैंट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के समान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू कर दी जाय। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र/शपथ पत्र का प्रारूप कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार व प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shesandesh.up.nic.in/

शासनादेश संख्या-क0नि0-2-1425/ग्यारह-2014-9(66)/2001 दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 का संलग्नक।

रूपये 25 लाख तक स्टाक रखने वाले टैंट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के समान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश ।

रू0 25 लाख तक स्टाक रखने वाले टैन्ट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान योजना कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है:-

(क) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये स्लैबवार समाधान राशि निम्नवत होगीः-

वित्तीय वर्ष	एक लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि	एक लाख रू0 से पॉच लाख रू0 तक के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि	पॉच लाख रू0 से पन्द्रह लाख रू0 के स्टाक के लिये नियत समाधान राशि	पन्द्रह लाख रू0 से पच्चीस लाख रू0 तक के स्टाक के नियत समाधान राशि
2014-2015	शून्य	**रू0 10,800/-**	**रू0 57,600/-**	**रू0 1,52,400/-**

(ख) इस समाधान योजना में व्यवसायियों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन,दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान सम्मिलित हैं। अतः उक्त सभी वस्तुओं को स्टाक में शामिल करते हुए समाधान शुल्क की गणना की जायेगी।

(ग) समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों द्वारा समाधान योजना प्रारम्भ की प्रथम तिथि को अपना स्टाक समाधान योजना के प्रार्थना-पत्र के साथ घोषित किया जायेगा।

(घ) मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अधीन देय कर के विकल्प में समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प देने वाले टैन्ट व्यवसाईयों द्वारा कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा इस योजना को निर्गत किये जाने की तिथि के 45 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र निर्धारित समाधान राशि के जमा के ट्रेजरी चालान के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अगले 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा, लेकिन इस बढ़ायी गयी अतिरिक्त अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

(ड.) समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसाईयांे द्वारा कोई टैक्स इन्वायस अथवा सेल इन्वायस जारी नहीं किया जायेगा तथा ऐसे व्यवसाईयों को किसी प्रकार की आई0टी0सी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(च) यह योजना केवल टैन्ट व्यवसाईयों द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, बेड, सजावट के सामान के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प के लिए ही अनुमन्य

http://shasanadesh.up.nic.in/

होगी। यदि किसी टैन्ट व्यवसाई द्वारा इन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है अथवा अन्य वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है तो ऐसी खरीद अथवा बिक्री पर नियमानुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का दायित्व होगा।

(छ) वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी व्यवसायी द्वारा समाधान राशि से अधिक की धनराशि नक्शा/रूपपत्र-24 के साथ स्वीकृत कर के रूप में जमा की गई है तो ऐसी अधिक धनराशि वापसी योग्य नहीं होगी।

(ज) समाधान योजना के प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जांच के समय टैन्ट व्यवसाईयों एवं उनके किसी प्रतिनिधि अथवा किसी कर्मचारी द्वारा जांच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा एवं जांच में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। जांच में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा असहयोग करने की दशा में प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों की विश्वसनीयता संदिग्ध मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

(झ) जो व्यापारी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे उन्हंे इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे समाधान योजना का विकल्प समाधान राशि की शासन द्वारा की गयी अग्रेतर वृद्धि की स्थिति के अतिरिक्त अन्य स्थितियांे में वापस ले सकें।

(ट) जो व्यापारी एक से अधिक जनपदों में कार्य करते हैं, वह अपने मुख्यालय की घोषणा संबंधित मुख्यालय के कर निर्धारक अधिकारी को देगे तथा अन्य जिलों के ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियांे, जिनके क्षेत्र में उनका उप-व्यापार स्थल स्थित है, को भी सूचित करेंगे। जिन व्यापारियों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो ऐसे व्यापारी उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी एक कार्य स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे।

(ठ) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी।

(ड) विवादित बिन्दुओं पर कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 का निर्णय अन्तिम होगा।

(ढ) शासन द्वारा वर्ष के दौरान समाधान योजना कभी भी पुनरीक्षित की जा सकती है या वापस ली जा सकती है। ऐसी दशा में समानुपातिक रूप से समाधान राशि देय होगी।

(ण) समाधान योजना के प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/